Navodaya Times, Delhi, 26/10/2026
Page No: 9, Size: 18.92cm × 22.57cm

एनएचआरसी की बसों की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई को दिया जा रहा राजनीतिक रंग : ढिल्लों



चंडीगढ़, 25 अक्तूबर (हरिश्चंद्र): पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अरविंद केजरीवाल पर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की बजाय निजी बस माफिया को बचाने की चिंता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच. आर.सी.) की बसों की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ढिल्लों ने दावा किया कि जनवरी 2026 में पंजाब सरकार ने एन.एच.आर.सी. को बताया था कि राज्य में कोई स्लीपर बस पंजीकृत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में दूसरे राज्यों की निजी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके संचालन के लिए भी दिल्ली से व्यक्ति लाया गया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से पूछा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद क्या वहां तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दी गई है? इस बीच ढिल्लों ने बठिंडा जिले के गांव डूमवाली में दीवारों पर 'चिट्टा ही चिट्टा' लिखे जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार के नशा-मुक्त पंजाब के दावों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांव में चिट्टे की खुलेआम बिक्री के आरोपों के बीच लोगों को अपने घरों की दीवारों पर नशे की समस्या उजागर करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं को देख कर माताओं का दर्द राज्य के हालात की गंभीरता दर्शाता है।

Source: https://kathmandupost.com/national/2026/10/25/sudurpaschim-spends-millions-to-fight-child-marriage-yet-the-practice-persists

Sudurpaschim spends millions to fight child marriage, yet the practice persists

The province has spent Rs12.87 million on prevention programmes in five years, but has never assessed their impact.

A 23-year-old woman from Doti regrets that she was unable to continue her education and become financially independent.

She married before turning 17, while she was in Grade 11. She had asked her family to let her finish school before getting married, but they refused. She eventually agreed after her prospective in-laws promised to support her education. That promise was not kept.

"I thought I would continue studying after marriage. But whenever I raised the subject at home, I was scolded," she said, asking not to be named for fear of consequences.

Despite family pressure, she managed to complete Grade 12. But her difficulties did not end there. She now has two children, and with her husband unemployed, the family relies on relatives to meet its daily needs. Financial dependence on others has also left her vulnerable to psychological abuse and pressure within the family, she shared.

Her experience is far from unique. It illustrates how child marriage can restrict girls' education, economic independence and opportunities. Many girls across Sudurpaschim face similar circumstances.

Another young woman from Doti married at 15 after eloping while in Grade 8. By the age of 22, she had become a mother of three. She says repeated pregnancies and the demands of raising children have left her physically weak.

She was not allowed to rest even after giving birth. Alongside the burden of household work, she says, she suffered physical and psychological abuse from her husband and in-laws.

Many girls who marry young face domestic violence and become mothers before they are physically or emotionally ready. Boys, meanwhile, face pressure to shoulder family responsibilities and earn money. Some leave school and migrate to India for work while still young.

Nepal's law prohibits marriage before the age of 20. Section 173 of the National Penal (Code) Act, 2017, makes child marriage a criminal offence, declares such marriages void and mandates up to three years in prison and a fine of up to Rs30,000.

Yet legal provisions and government-funded programmes have done little to ensure that all children are protected from early marriage.

The Sudurpaschim provincial government has allocated funds for prevention campaigns year after year. But child marriage persists, raising questions about the effectiveness and continuity of its efforts.

Child marriage is common not only in rural areas but also in urban communities. Yet few cases reach the police, with many remaining within families and communities.

According to Sudurpaschim Police, just 36 child marriage cases were registered across the province between fiscal years 2020-21 and 2025-26.

Kailali recorded the highest number, with nine cases, followed by Kanchanpur with seven, Baitadi with five, Doti with four and Dadeldhura with three. Bajura, Bajhang, Achham and Darchula each recorded two cases. Police have also conducted awareness programmes to prevent child marriage.

Data from the 2021 national census, however, point to a far more widespread problem. The census found that 29.1 percent of marriages in Sudurpaschim involved child marriage, underscoring the gap between the scale of

the practice and the number of cases reported to police.
Bajhang had the highest reported prevalence in the province, at 34.1 percent, followed by Darchula at 33.4 percent. The figures were 29.7 percent in Dadeldhura, 29.6 percent in Achham, 29.4 percent in both Doti and Kailali, 27.8 percent in Bajura, 26.9 percent in Baitadi and 26.6 percent in Kanchanpur.
Figures from the Crime Investigation Department for the fiscal year 2024-25 also show that the practice continues. Of the 61 child marriage cases registered nationwide that year, seven were in Sudurpaschim.
Senior Superintendent Padam Bahadur Bista, spokesperson for the Sudurpaschim Provincial Police Office, said only a small proportion of child marriages came to the authorities' attention. Cases were more likely to be reported when a marriage involved people from different castes or took place without parental consent, he said.
"Child marriage continues partly because other people in the community do not take an interest," Bista said. "People should inform the police as soon as they witness a child marriage. But that does not happen."
Bideshram Chaudhary, focal person for the Sudurpaschim Province Office of the National Human Rights Commission, also said the practice remained entrenched in communities.
He noted a shift in how some child marriages occurred. Rather than parents forcing children to marry, some adolescents were now marrying on their own, partly through the misuse of social media.
"Provincial and local governments and the National Human Rights Commission are making efforts to prevent child marriage. But the practice continues in communities," Chaudhary said. "We are also seeing adolescents marry on their own through the misuse of technology."
Although government agencies and non-governmental organisations have introduced various prevention programmes, their impact at community level remains limited, he said.
Annual spending, but no assessment of results
The Sudurpaschim government has been running a campaign against child marriage under the slogan "I am still young, let me grow; not marriage, let me study". But while funds have been spent, the campaign's impact has never been formally assessed.
The Sudurpaschim government has been running a campaign against child marriage under the slogan "I am still young, let me grow; not marriage, let me study". But while funds have been spent, the campaign's impact has never been formally assessed.
According to the Ministry of Social Development, the provincial government allocated Rs14.1225 million for various child marriage prevention programmes over the past five fiscal years. Of this, Rs12.87008 million was spent.
In the fiscal year 2021-22, the government spent Rs2.953 million on prevention initiatives. These included a day-long orientation on responsible parenting; community awareness programmes on gender-based violence, child protection and child marriage conducted through social development facilitators; the formation and orientation of local child rights committees; peer education in schools; and discussions with religious leaders on reducing child marriage, gender-based violence and other harmful social practices.
The ministry spent Rs1.858 million in 2022-23, Rs2.758 million in 2023-24, Rs2.293 million in 2024-25 and Rs3.052 million in 2025-26.
During this period, 9,147 children and parents across the province participated in the programmes.
But the ministry has not assessed how much the spending has contributed to reducing child marriage. There is little evidence of a clear link between the continuity of government campaigns, spending priorities and measurable results.
The programmes have also remained largely similar from year to year, with workshops, discussions and orientation sessions accounting for much of the activity, according to ministry records.
Asked about the campaign's effectiveness, Jaydev Mahar, information officer at the ministry, acknowledged that there was no mechanism to measure its impact.
"We conduct the programmes, but we have not been able to measure their impact," Mahar said. "Universities could conduct such studies at the ministry's initiative, but we have not developed that mechanism."
Bindu Kumari Chataut, a women's development officer at the ministry, said the campaign had begun without a baseline study, specific targets or indicators to measure progress.
"When the programme started, no baseline, target or indicator was established to measure its impact. As a result, we have not assessed what difference it has made," she said.
The ministry still lacks a dedicated mechanism to evaluate the campaign. Chataut believes it may have had some effect, however. According to ministry figures, 19 child marriages have been
prevented in Bajura under the campaign.
Without a system to measure results, the basis for allocating funds in subsequent years remains unclear. Chataut

said the allocation for child marriage prevention had also become increasingly limited.

"The budget is barely enough to hold one event in a municipality," she said. "Instead of assessing the impact, we end up organising a programme in one place a year and moving to another place next year."

The ministry plans to involve local governments more directly in the programmes from the next fiscal year, she added.

Non-governmental organisations have also spent substantial sums on child marriage prevention in Sudurpaschim.

One of them is Peace Win, which runs programmes in around 19 local governments across Bajhang, Baitadi, Bajura, Doti and Achham, according to its programme coordinator, Juddha Rawal.

The organisation spends more than Rs10 million annually on initiatives that include building adolescents' skills, orienting parents, providing sexual and reproductive health education in schools, helping local governments formulate policies and conducting community-level campaigns against child marriage.

"Our project records show that we have prevented 32 child marriages that were about to take place," Rawal said. "But we have not conducted a baseline, endline or separate survey to measure the overall impact beyond the project."

Source: https://punjabnewsexpress.com/punjab/news/nhrc-member-priyank-kanoongo-slams-kejriwal-for-supporting-punjabs-unsafe-sleeper-buses-332726

NHRC member Priyank Kanoongo slams Kejriwal for ‘supporting’ Punjab’s unsafe sleeper buses

NEW DELHI: National Human Rights Commission member Priyank Kanoongo on Saturday hit out at AAP National Convenor Arvind Kejriwal for alleging ulterior motives behind the Commission’s public safety-oriented step to weed out unsafe sleeper buses in Punjab.

Pointing to a discrepancy in the Punjab government’s claim that there were no sleeper buses registered in the state and Kejriwal’s objections to the NHRC’s initiative, Kanoongo said on X, “Don't be afraid, Arvind! We haven't yet launched an investigation into the commissions you're getting from running these buses.”

“You're so greedy and foolish that you're playing with innocent citizens' lives for the sake of your commissions and your authoritarian ways,” he wrote.

“Don't take commissions and ensure safe bus travel — that's all there is to it. If any citizen's life is endangered due to your chaos and authoritarianism, you'll end up back in jail,” said Kanoongo, referring to Kejriwal’s earlier jail stint in Delhi in connection with the controversial excise policy and alleged kickbacks from the liquor mafia.

He reminded the AAP National Convenor that the NHRC notice to the Punjab government was part of a nationwide exercise.

He said, “For the past year, we've been taking continuous action against such non-standard buses and have had 1,000 such buses removed from operation or subjected to restrictive measures across the country.”

“During our actions, the Punjab Transport Department also sent this response in January 2026, in which they stated that no sleeper coach buses are even registered in the state. This response is contradictory, so we must find out how these buses are operating, which is why we've written to initiate an investigation — because every single citizen's life is invaluable,” he said.

Earlier, Kejriwal questioned the NHRC’s probe into the safety of sleeper buses in Punjab.

“The country's largest human rights institution, NHRC, has conducted bus inspections for the first time in its history. Which buses? The super deluxe buses that take Punjab's people on pilgrimages. What deficiencies were found in them? Like, why is there a partition between the driver and the passengers? Has NHRC inspected UP Roadways buses? No. Have they inspected roadways buses from any other state? No. Only the pilgrimage super deluxe buses from Punjab were inspected,” wrote Kejriwal on X.

The NHRC’s action started after it received a complaint about the allegedly unsafe buses being run in Punjab. The complainant was Network for Access to Justice and Multidisciplinary Outreach Foundation.

Following the receipt of the complaint, the NHRC bench headed by Kanoongo issued notices to the state government.

Source: https://www.thehansindia.com/news/national/kejriwal-more-concerned-about-bus-mafia-alleges-punjab-bjp-chief-1135672

Kejriwal more concerned about bus mafia, alleges Punjab BJP chief

"That is why he (Arvind Kejriwal) is turning the National Human Rights Commission (NHRC)'s notice regarding safety issues involving buses operating under the Chief Minister's Pilgrimage Scheme into a political issue," Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon said.

Chandigarh: The Punjab Bharatiya Janata Party (BJP) on Sunday alleged that the Aam Aadmi Party (AAP) Convener Arvind Kejriwal is more concerned about the bus mafia brought in from other states than the safety of the state's elderly residents.

"That is why he (Arvind Kejriwal) is turning the National Human Rights Commission (NHRC)'s notice regarding safety issues involving buses operating under the Chief Minister's Pilgrimage Scheme into a political issue," Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon said.

In a statement here, Dhillon added that the Human Rights Commission had taken action against 1,000 buses across the country over the past year due to incidents of fires involving sleeper buses. Buy Maps

"Such incidents have been occurring repeatedly, resulting in the loss of lives. Linking this action exclusively to Punjab is nothing but an outright falsehood," he said.

He added that in January, the Punjab government had informed the Human Rights Commission that no sleeper buses were registered in Punjab.

"This means that all the buses operating under the pilgrimage scheme in Punjab are private buses brought in from other states. Not only have the buses been brought in from outside Punjab, but the people running the scheme have also been brought in from Delhi. Kejriwal is running Punjab's Chief Minister's Pilgrimage Scheme like a bus mafia through his close associate," Dhillon alleged.

He said that making false statements was a habit of Kejriwal.

Before accusing anyone of attempting to discontinue the pilgrimage scheme in Punjab, Kejriwal should clarify whether the scheme in Delhi was discontinued after the BJP formed the government there.

"Kejriwal must answer this question first," Dhillon said.

Meanwhile, BJP leader Shwait Malik targeted the AAP government and Chief Minister Bhagwant Mann over the collapsing healthcare system.

Malik said that government hospitals in the state are functioning without specialist doctors.

Citing the health department's figures, he added that nearly 1,000 out of 2,098 sanctioned posts of specialist doctors are vacant in the state.

Malik said the crisis aggravated because the Punjab government has not made a single regular recruitment of specialists since 2022.

Source: https://www.socialnews.xyz/2026/10/25/kejriwal-more-concerned-about-bus-mafia-alleges-punjab-bjp-chief/

Kejriwal more concerned about bus mafia, alleges Punjab BJP chief

Chandigarh, Oct 25 (SocialNews.XYZ) The Punjab Bharatiya Janata Party (BJP) on Sunday alleged that the Aam Aadmi Party (AAP) Convener Arvind Kejriwal is more concerned about the bus mafia brought in from other states than the safety of the state's elderly residents.

"That is why he (Arvind Kejriwal) is turning the National Human Rights Commission (NHRC)'s notice regarding safety issues involving buses operating under the Chief Minister's Pilgrimage Scheme into a political issue," Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon said.

In a statement here, Dhillon added that the Human Rights Commission had taken action against 1,000 buses across the country over the past year due to incidents of fires involving sleeper buses.

"Such incidents have been occurring repeatedly, resulting in the loss of lives. Linking this action exclusively to Punjab is nothing but an outright falsehood," he said.

He added that in January, the Punjab government had informed the Human Rights Commission that no sleeper buses were registered in Punjab.

"This means that all the buses operating under the pilgrimage scheme in Punjab are private buses brought in from other states. Not only have the buses been brought in from outside Punjab, but the people running the scheme have also been brought in from Delhi. Kejriwal is running Punjab's Chief Minister's Pilgrimage Scheme like a bus mafia through his close associate," Dhillon alleged.

He said that making false statements was a habit of Kejriwal.

Before accusing anyone of attempting to discontinue the pilgrimage scheme in Punjab, Kejriwal should clarify whether the scheme in Delhi was discontinued after the BJP formed the government there.

"Kejriwal must answer this question first," Dhillon said.

Meanwhile, BJP leader Shwait Malik targeted the AAP government and Chief Minister Bhagwant Mann over the collapsing healthcare system.

Malik said that government hospitals in the state are functioning without specialist doctors.

Citing the health department's figures, he added that nearly 1,000 out of 2,098 sanctioned posts of specialist doctors are vacant in the state.

Malik said the crisis aggravated because the Punjab government has not made a single regular recruitment of specialists since 2022.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/punjab/centre-trying-to-stop-tirath-scheme-kejriwal-questions-nhrc-move-to-inspect-buses/

Centre trying to stop tirath scheme: Kejriwal questions NHRC move to inspect buses

The Aam Aadmi Party (AAP) on Friday attacked the Narendra Modi-led Centre after the National Human Rights Commission (NHRC) inspected buses ferrying elderly pilgrims under the Punjab Government's Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme.

AAP national convener Arvind Kejriwal alleged an attempt was being made to obstruct the Bhagwant Mann government's pilgrimage scheme for senior citizens. He asked why the rights body had inspected pilgrimage buses for the first time and whether similar checks had ever been carried out on state-run buses elsewhere in the country.

The NHRC, however, refuted the political bias claims, citing passenger safety standards set by the Central Institute of Road Transport (CIRT). It said it took note of complaints alleging safety violations in sleeper buses deployed by the state.

In a post on X, Kejriwal said, "The NHRC has inspected buses for the first time in its history. Which buses? The super deluxe buses taking people from Punjab on tirath yatra." Referring to the NHRC's observations, he said, "What shortcomings did it find? Questions such as why there is a partition between the driver and passengers. Did the NHRC inspect UP roadways buses? No. Did it inspect buses operated by any other state's roadways? No." Kejriwal further asked, "PM Modi, why are you so determined to stop elderly people from undertaking tirath yatra? Why do you want to invite the curses of the elderly?"

Senior AAP leader Manish Sisodia said, "Gen Z was put behind bars for hoisting the Tricolour, but the rights commission remained silent. Pellet guns were fired at students, yet the commission said nothing." In a post on X, NHRC member Priyank Kanoongo said, "We haven't yet launched an investigation into the commissions you (Kejriwal) are getting from running these buses."

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/punjab-bjp-chief-slams-kejriwal-over-nhrc-notice-on-pilgrimage-buses/articleshow/135197146.cms

Punjab BJP chief slams Kejriwal over NHRC notice on pilgrimage buses

Chandigarh: Punjab BJP president Kewal Singh Dhillon on Sunday slammed Aam Aadmi Party (AAP) chief Arvind Kejriwal for “turning the National Human Rights Commission’s notice regarding safety issues involving buses operating under the chief minister’s pilgrimage scheme into a political issue”.

In a written statement, Dhillon said, “The National Human Rights Commission (NHRC) had taken action against 1,000 buses across the country over the last year due to incidents of fires involving sleeper buses. Such incidents have been occurring repeatedly, resulting in loss of lives. Linking this action exclusively to Punjab is nothing but an outright falsehood.”

Dhillon claimed that in Jan 2026, the Punjab govt had informed the NHRC that no sleeper buses were registered in Punjab. “This means that all the buses operating under the pilgrimage scheme in Punjab are private buses brought in from other states,” he said.

He asked Kejriwal to clarify whether the scheme in Delhi was discontinued after the BJP formed the govt there.

On Saturday, AAP slammed the BJP-led Centre, alleging that the NHRC had inspected the “super deluxe buses” ferrying pilgrims under the Punjab govt’s Mukh Mantri Tirath Yatra scheme.

Source: https://theprint.in/india/punjab-bjp-chief-slams-kejriwal-over-nhrc-notice-to-mann-govt-on-pilgrim-buses/3081134/?amp

Punjab BJP chief slams Kejriwal over NHRC notice to Mann govt on pilgrim buses

Chandigarh, Oct 25 (PTI) Punjab BJP chief Kewal Singh Dhillon on Sunday slammed Arvind Kejriwal over the NHRC notice to the state government in connection with the pilgrim buses, accusing him of making false statements and turning a safety issue into political one. Kejriwal on Saturday lashed out at the BJP-led Centre, alleging that the [...]

Chandigarh, Oct 25 (PTI) Punjab BJP chief Kewal Singh Dhillon on Sunday slammed Arvind Kejriwal over the NHRC notice to the state government in connection with the pilgrim buses, accusing him of making false statements and turning a safety issue into political one.

Kejriwal on Saturday lashed out at the BJP-led Centre, alleging that the National Human Rights Commission (NHRC) inspected super deluxe buses ferrying elderly pilgrims under the Punjab government's Mukh Mantri Tirath Yatra scheme.

Kejriwal claimed that the attempt was made to stop the Bhagwant Mann government's scheme for senior citizens, questioning why the human rights body inspected buses and whether it had ever carried out similar checks on roadways buses in any other state.

BJP leader Dhillon asked the AAP national convener why he is turning the NHRC notice regarding safety issues involving buses operating under the state government scheme into a political issue.

Under the scheme, the Mann government facilitates yatra for elderly residents of Punjab to Amritsar, Sri Anandpur Sahib, Sri Kiratpur Sahib, Mata Naina Devi Temple, Haridwar-Rishikesh, Mathura-Vrindavan, Salasar Balaji Dham and Sri Khatu Shyam Ji. The entire 'tirth yatra' is free of charge.

Dhillon said that the NHRC had taken action against 1,000 buses across the country over the past year due to incidents of fires involving sleeper buses.

Such incidents have been occurring repeatedly, resulting in the loss of lives. Linking this action exclusively to Punjab is nothing but an outright falsehood, he said in a statement here.

Dhillon said in January, the Punjab government had informed the NHRC that no sleeper buses were registered in the state. "This means that all the buses operating under the pilgrimage scheme in Punjab are private buses brought in from other states," he claimed.

Making false statements was a habit of Kejriwal, he alleged.

"Before accusing anyone of attempting to discontinue the pilgrimage scheme in Punjab, Kejriwal should clarify whether the scheme in Delhi was discontinued after the BJP formed the government there. Kejriwal must answer this question first", Dhillon said.

Source: https://indianexpress.com/article/chandigarh/nhrc-aap-confrontation-punjab-mukh-mantri-tirath-yatra-sleeper-bus-safety-kejriwal-kanoongo-10935889/

NHRC, AAP face-off over safety of buses ferrying pilgrims under Punjab scheme

Senior AAP leader and Punjab in-charge Manish Sisodia too attacked the NHRC, accusing it of selective intervention in human-rights issues.

The National Human Rights Commission (NHRC) and the Aam Aadmi Party (AAP) on Saturday locked horns over the safety of buses ferrying pilgrims under the Punjab government's Mukh Mantri Tirath Yatra scheme, with Commission member Priyank Kanoongo questioning how sleeper buses were operating in the state despite an earlier response from its transport department that no such vehicles were registered.

The confrontation followed the NHRC's direction to Punjab Chief Secretary KAP Sinha to personally ensure the inspection of all buses deployed under the scheme and submit a report within seven days. The commission acted on a complaint alleging alleging that air-conditioned sleeper buses used for the pilgrimages had unauthorised structural modifications, partitions separating drivers from passengers, obstructed emergency exits and inadequate fire safety arrangements.

Reacting to the notice, AAP national convenor Arvind Keriwal said it was for the "first time in history that country's human rights institution has conducted bus inspections".

"Which buses? The super deluxe buses that take Punjab's people on pilgrimages. Has NHRC inspected UP Roadways buses? No. Have they inspected roadways buses from any other state? No. Only the pilgrimage super deluxe buses from Punjab were inspected," said Kejriwal in a post on X.

"PM Modi, why are you so determined to stop elderly people from undertaking tirth yatra?" Kejriwal asked, accusing the Centre of attempting to derail the Bhagwant Mann government's scheme.

"Don't be afraid, Arvind! We haven't yet launched an investigation into the commissions you're getting from running these buses," Kanoongo wrote on X, escalating the confrontation.

In his response to Kejriwal, Kanoongo said the commission had been investigating fatal fires involving sleeper-coach buses across the country over the past few years. He said the Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune, which he described as a leading institution in setting bus-safety standards, had informed the commission that partitions between drivers and passengers in sleeper buses were dangerous and contrary to safety guidelines.

"In one such accident, a fire broke out at the back of the bus, and the driver didn't even realise it had caught fire," he wrote, explaining the safety concern behind the commission's intervention.

Kanoongo said the NHRC had been taking action against non-standard buses for the past year and that around 1,000 buses across the country had either been removed from operation or subjected to restrictions following its interventions.

The NHRC member also questioned how the buses were operating in Punjab when, according to him, the state Transport Department had informed the commission in January 2026 that no sleeper-coach buses were registered in the state. "This response is contradictory, so we must find out how these buses are operating," Kanoongo said, adding that the commission had initiated proceedings because passenger safety could not be compromised.

Senior AAP leader and Punjab in-charge Manish Sisodia too attacked the NHRC, accusing it of selective intervention in human-rights issues. He cited alleged violations involving students and women and questioned why the commission was acting over complaints concerning the buses. "When a person is shot, there is there is silence; when someone feels hot, there is an investigation," Sisodia said, calling for the body to be renamed the

“BJP Rights Commission”.

The commission’s notice has asked whether the buses meet prescribed safety standards, including requirements relating to emergency exits, fire detection and evacuation. The Chief Secretary has been asked to ensure that any bus found violating mandatory standards is taken off the road until deficiencies are rectified and compliance verified.

The Punjab government’s inspection report is expected to establish whether the allegations are borne out and what action, if any, is required against bus operators or officials.

The scheme provides free pilgrimages for residents above 50 to destinations including Amritsar, Anandpur Sahib, Kiratpur Sahib, Haridwar-Rishikesh, Mathura-Vrindavan and Khatu Shyam. The AAP has said around seven lakh elderly people had benefited by October 14, with the state government bearing the expenses.

Source: https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/unsafe-pilgrim-buses-nhrc-puts-punjab-chief-secretary-on-notice-kejriwal-flays-action-101792867906326.html

‘Unsafe’ pilgrim buses; NHRC puts Punjab chief secretary on notice, Kejriwal flays action

Issuing a notice to the Punjab chief secretary, an NHRC bench, presided over by member Priyank Kanoongo, has directed an inspection of all such buses and sought a report within seven days.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of allegations that unsafe AC sleeper buses are being used under the Punjab government’s Mukh Mantri Tirath Yatra Scheme.

Issuing a notice to the Punjab chief secretary, an NHRC bench, presided over by member Priyank Kanoongo, has directed an inspection of all such buses and sought a report within seven days.

The notice, issued under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, has also been marked to secretary, Union ministry of road transport and highways.

Criticising the NHRC action, Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal alleged that it was selectively targeting Punjab’s pilgrimage vehicles while transport fleets in other states remained unexamined.

In response, Kanoongo highlighted that the NHRC’s crackdown was not selective but nationwide, noting that over 1,000 unsafe buses had been taken off the roads or restructured across various states over the past year.

Giving details, NHRC member Priyank Kanoongo said the commission received a complaint alleging that the buses used under the Punjab government’s pilgrimage scheme did not meet required safety standards. Concerns included unauthorised structural modifications, partitions between the driver’s cabin and passenger compartment, obstruction of emergency exits and windows, and deficiencies in essential fire detection, suppression and emergency evacuation arrangements, he said.

“The serious thing here is that the state government itself has allegedly hired buses that don’t meet safety standards. This is especially risky when they’re transporting elderly passengers. If there’s an emergency or something goes wrong, these passengers won’t be able to get themselves out,” Kanoongo added.

The pilgrimage scheme operates on five routes. Two of these are in Punjab—one to Amritsar and another to Anandpur Sahib-Naina Devi. The other three include Salasar and Khatu Shyam Ji in Rajasthan, Haridwar and Rishikesh in Uttarakhand, and Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh.

Source: https://hindi.newsdanka.com/politics/punjab-bjp-targets-the-mann-government-over-pilgrimage-buses-and-the-healthcare-system/155908/

पंजाब भाजपा ने तीर्थयात्रा बसों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर मान सरकार को घेरा!

ढिल्लों ने कहा कि मानवाधिकार आयोग ने पिछले एक साल में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं के कारण देशभर में 1,000 बसों के खिलाफ कार्रवाई की है।

पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल राज्य के बुजुर्ग निवासियों की सुरक्षा से ज्यादा दूसरे राज्यों से आए बस माफिया को लेकर चिंतित हैं।

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, "इसीलिए वे (अरविंद केजरीवाल) मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत चलने वाली बसों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नोटिस को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं।"

ढिल्लों ने कहा कि मानवाधिकार आयोग ने पिछले एक साल में स्लीपर बसों में आग लगने की घटनाओं के कारण देशभर में 1,000 बसों के खिलाफ कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा, "इस तरह की घटनाएं बार-बार घट रही हैं, जिनमें लोगों की जान जा रही है। इस घटना को केवल पंजाब से जोड़ना सरासर झूठ है। जनवरी में पंजाब सरकार ने मानवाधिकार आयोग को सूचित किया था कि पंजाब में कोई स्लीपर बस पंजीकृत नहीं है।"

ढिल्लों ने आरोप लगाया, "इसका मतलब यह है कि पंजाब में तीर्थयात्रा योजना के तहत चलने वाली सभी बसें अन्य राज्यों से मंगाई गई निजी बसें हैं। न केवल बसें पंजाब के बाहर से मंगाई गई हैं, बल्कि योजना चलाने वाले लोग भी दिल्ली से लाए गए हैं। केजरीवाल अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को बस माफिया की तरह चला रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि झूठे बयान देना केजरीवाल की आदत है। पंजाब में तीर्थयात्रा योजना को बंद करने की कोशिश का आरोप लगाने से पहले, केजरीवाल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद योजना बंद कर दी गई थी।

ढिल्लों ने कहा, "केजरीवाल को पहले इस सवाल का जवाब देना होगा।" इसी बीच भाजपा नेता श्वेत मलिक ने खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। मलिक ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों के बिना चल रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 2,098 स्वीकृत पदों में से लगभग 1,000 पद खाली हैं। मलिक ने कहा कि यह संकट इसलिए और बढ़ गया है क्योंकि पंजाब सरकार ने 2022 से अब तक विशेषज्ञों की एक भी नियमित भर्ती नहीं की है।

Source: https://www.thejbt.com/india/punjab/nhrc-first-time-checking-super-deluxe-buses-pilgrims-arvind-kejriwal-news-320434#google_vignette

पहली बार एनएचआरसी ने तीर्थ यात्रियों वाली सुपर डीलक्स बसों की चेकिंग की है: अरविंद केजरीवाल

पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली सुपर डीलक्स बसों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा चेकिंग किए जाने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है

चंडीगढ़: पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा' योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को ले जाने वाली सुपर डीलक्स बसों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा चेकिंग किए जाने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि यह कोशिश भगवंत मान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही योजना को रोकने के लिए की गई है। उन्होंने सवाल किया कि एनएचआरसी ने पहली बार तीर्थ बसों की चेकिंग क्यों की और क्या इसने पहले कभी किसी अन्य राज्य की रोडवेज बसों की इस तरह की चेकिंग की है?

केजरीवाल का आरोप, पंजाब की तीर्थ यात्रा बसों की पहली बार जांच

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 'एक्स' (X) पर लिखा, "देश की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने इतिहास में पहली बार बसों की चेकिंग की है। कौन सी बसें? वे सुपर डीलक्स बसें जो पंजाब के लोगों को 'तीर्थ यात्रा' पर ले जा रही हैं।"

बसों में ड्राइवर और यात्रियों के बीच पार्टीशन पर उठाए सवाल

उन्होंने आगे लिखा, "इन्हें इसमें क्या कमियां मिलीं? ऐसे सवाल उठाए गए कि ड्राइवर और सवारियों के बीच बंटवारा (पार्टीशन) क्यों है। क्या एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों की चेकिंग की? नहीं। क्या एनएचआरसी ने किसी अन्य राज्य के रोडवेज द्वारा चलाई जा रही बसों की चेकिंग की? नहीं। इसने सिर्फ पंजाब से श्रद्धालुओं को ले जाने वाली सुपर डीलक्स बसों की ही चेकिंग की।"

मनीष सिसोदिया ने एनएचआरसी की कार्रवाई पर जताई नाराजगी

इस बीच, 'आप' के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भी तीर्थ यात्रा के लिए इस्तेमाल की जा रही सुपर डीलक्स बसों की एनएचआरसी द्वारा की गई चेकिंग की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "तिरंगा फहराने के लिए 'जेन-ज़ी' (युवाओं) को जेलों में डाल दिया गया, लेकिन मानवाधिकार आयोग चुप बैठा रहा। छात्रों पर पैलेट गन चलाई गईं, फिर भी आयोग की चुप्पी बरकरार रही।"

बस के एसी की जांच पर सिसोदिया का तंज

उन्होंने आगे कहा, "जब कॉलेज परिसरों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, तो आयोग कहीं नजर नहीं आया। गैर-कानूनी हिरासत के मामलों में भी आयोग को मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं दिखी। लेकिन जब यह खबर आई कि पंजाब की एक बस में एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था, तो आयोग लालटेन लेकर निकल पड़ा कि कौन सी बस ठंडी हवा नहीं दे रही है।"

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में बुजुर्गों को मुफ्त दर्शन

पंजाब में 'मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना' के तहत भगवंत मान सरकार राज्य के बुजुर्ग निवासियों के लिए श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब, श्री कीरतपुर साहिब, माता नैना देवी मंदिर, हरिद्वार-ऋषिकेश, मथुरा-वृंदावन, सालासर बालाजी धाम और श्री खाटू श्याम जी की यात्रा की सुविधा दे रही है।

7 लाख बुजुर्गों ने किया तीर्थ यात्रा योजना का लाभ

यह पूरी तीर्थ यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। सरकार बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम करती है और पूरा खर्च खुद उठाती है। 14 अक्टूबर तक भगवंत मान सरकार लगभग 7 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा चुकी है। इनमें से 5.5 लाख श्रद्धालु अमृतसर, वाघा बॉर्डर, रामतीर्थ और श्री दुर्ग्याणा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा 1 लाख श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब गए, जबकि 15,000 श्रद्धालु मथुरा, 15,000 खाटू श्याम और 15,000 हरिद्वार-ऋषिकेश की यात्रा कर चुके हैं।

आप का आरोप, एनएचआरसी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही भाजपा

'आप' ने एनएचआरसी पर निशाना साधते हुए पूछा, "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) बन गया? भारत की प्रमुख मानवाधिकार संस्था को बसों के दरवाजों की जांच करने और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को उनकी यात्रा करने से रोकने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, भाजपा की बदले की राजनीति का एक शर्मनाक रूप है। भाजपा की यह बौखलाहट बेहद शर्मनाक है।"

Source: https://punjab.punjabkesari.in/punjab/news/mann-government-stirred-into-action-following-pressure-from-amit-shah-chugh-2393405

अमित शाह के दबाव के बाद जागी भगवंत मान सरकार, PIT-NDPS एक्ट को लेकर तरुण चुघ का हमला

चंडीगढ़ : भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुग ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप की नौबत आ गई है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के इस्तेमाल में सरकार की देरी सामने आई है। ये दोनों मामले आम आदमी पार्टी सरकार के जनसेवा और सुशासन के दावों की वास्तविकता उजागर करते हैं। पंजाब की जनता को विज्ञापनों और घोषणाओं की नहीं, बल्कि सुरक्षित व्यवस्था और जमीन पर दिखाई देने वाली कार्रवाई की जरूरत है।

चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित बसों की सुरक्षा को लेकर एनएचआरसी का नोटिस गंभीर विषय है। जो श्रद्धालु भगवान के दर्शन की आस्था लेकर घर से निकलते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। तीर्थयात्रा जैसी संवेदनशील योजना में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठना शासन और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। भगवंत मान सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बसों की फिटनेस, चालकों की योग्यता और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों की नियमित जांच सुनिश्चित की गई है या नहीं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार योजनाओं का राजनीतिक प्रचार करने में आगे रहती है, लेकिन जब जवाबदेही का समय आता है तो उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगते हैं। एनएचआरसी का नोटिस कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक आयोग की कार्रवाई है, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। श्रद्धालुओं की आस्था और सुरक्षा को राजनीतिक प्रचार का माध्यम बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर जवाब देना चाहिए और किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

चुग ने नशे के मुद्दे पर भगवंत मान सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद ही पंजाब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब दौरे के दौरान यह सवाल उठाया था कि देश में इस कानून के तहत 929 मामले दर्ज हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में एक भी मामला क्यों दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना यह सवाल खड़ा करता है कि नशे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का दावा करने वाली सरकार ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया।

उन्होंने कहा कि पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट, 1988 नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराता है। निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और शर्तों के अधीन इस कानून के तहत नशे के अवैध कारोबार को रोकने के उद्देश्य से एक वर्ष तक निवारक हिरासत का आदेश दिया जा सकता है। पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना केवल पहला कदम है। असली परीक्षा यह होगी कि इस कानून का प्रभावी और निष्पक्ष इस्तेमाल करके नशा तस्करी के नेटवर्क पर कितनी ठोस कार्रवाई की जाती है।

चुग ने कहा कि पंजाब के युवा नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं और परिवार अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी केवल अभियान चलाने और बड़े-बड़े दावे करने तक सीमित नहीं हो सकती। नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क की पहचान करना, उनके वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई करना, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही तय करना तथा नशे की लत से जूझ रहे लोगों के उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था करना आवश्यक है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि कानून के इस्तेमाल में हुई देरी के लिए जिम्मेदार कौन है।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की राजनीति घोषणाओं और प्रचार के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जबकि पंजाब की जनता सुरक्षा, जवाबदेही और ठोस परिणाम चाहती है। चाहे तीर्थयात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो या पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की लड़ाई, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। भाजपा पंजाब को नशे के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है और 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने के संकल्प के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी।

चुग ने कहा कि भगवंत मान सरकार को पंजाब की जनता के सामने जवाब देना चाहिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बार-बार सवाल क्यों उठ रहे हैं। पंजाब को प्रचार नहीं, परिणाम चाहिए; घोषणाएं नहीं, जवाबदेही चाहिए। भाजपा जनहित, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पंजाब के युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी।

Hari Bhoomi, Online News, 26/10/2026

Source: https://www.haribhoomi.com/state-local/madhya-pradesh/news/bhopal-bal-sahityakar-sammelan-vigyan-bhavan-26-october-2026-119196/amp

भोपाल में कल जुटेंगे बाल साहित्यकार, लोक परंपरा में होगी चर्चा

बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म और लोक परंपराओं की भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए सोमवार, 26 अक्टूबर को बाल साहित्यकारों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

भोपाल। बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अध्यात्म और लोक परंपराओं की भूमिका पर विचार-विमर्श के लिए सोमवार, 26 अक्टूबर को बाल साहित्यकारों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अर्चना प्रकाशन न्यास एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वावधान में होने वाला यह सम्मेलन परिषद परिसर स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम में पांच सत्र होंगे, जिनमें बाल साहित्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी।

प्रियंक कानूनगो होंगे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। 'बाल साहित्य में वैज्ञानिक दृष्टि' विषय पर आयोजित इस सत्र की अध्यक्षता मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक अनिल कोठारी करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो मुख्य अतिथि होंगे।

इस सत्र में साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता चतुर्वेदी और अर्चना प्रकाशन के अध्यक्ष लाजपत आहूजा उपस्थित रहेंगे। सत्र का संचालन उद्यांश पांडे करेंगे

बाल साहित्य और अध्यात्म पर भी होगी चर्चा

दूसरा सत्र 'बाल साहित्य एवं अध्यात्म' विषय पर केंद्रित होगा। इसकी अध्यक्षता अर्चना प्रकाशन न्यास के उपाध्यक्ष माधव सिंह दांगी करेंगे, जबकि 'देवपुत्र' पत्रिका के संपादक गोपाल माहेश्वरी मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख कैलाश जी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे।

बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के निदेशक महेश सक्सेना और उर्दू अकादमी की निदेशक डॉ. नुसरत मेहंदी भी इस सत्र को संबोधित करेंगी। सत्र का संचालन राहुल सिंह और अंजू कुशवाह करेंगी।

लोक परंपरा और बाल साहित्य पर परिचर्चा

तीसरे सत्र में 'लोक परंपरा एवं बाल साहित्य' विषय पर परिचर्चा होगी। इसमें बाल आयाम के अंतर्गत वत्सला चौबे, अंकिता पाल, सुदर्शन व्यास और सौरभ तामेश्वरी भाग लेंगे।

वहीं, वरिष्ठ आयाम की परिचर्चा में भीलवाड़ा के डॉ. भेरूलाल जी, गोकुल सोनी, अनिल सक्सेना और कोलारस की डॉ. रचना चौहान शामिल होंगे। इस सत्र में लोक परंपराओं और बाल साहित्य के बीच संबंधों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

बाल साहित्य में शोध की संभावनाओं पर मंथन

चौथा सत्र 'बाल साहित्य में शोध की संभावना' विषय पर आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता अर्चना प्रकाशन के प्रबंध न्यासी राकेश जैन करेंगे। शहडोल की डॉ. अनुराधा शुक्ल मुख्य अतिथि होंगी।

साहित्य अकादमी की बाल साहित्य शोध सृजन पीठ की निदेशक डॉ. मीनू पांडे विषय प्रवर्तन करेंगी। डॉ. शांति टेम्भरे, डॉ. मालती वसंत और डॉ. राम वल्लभ आचार्य भी सत्र को संबोधित करेंगे। इसका संचालन राहुल कुशवाहा और दीक्षा अहिरवार करेंगी।

'ज्ञान गंगा' सत्र के साथ होगा समापन

सम्मेलन का समापन सत्र 'ज्ञान गंगा' नाम से आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता अर्चना प्रकाशन न्यास के न्यासी संरक्षक अशोक पांडे करेंगे। शाहजहांपुर के डॉ. नागेश पांडे मुख्य वक्ता होंगे, जबकि साहित्य अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

निराला सृजन पीठ की निदेशक डॉ. साधना बलवटे विषय प्रवर्तन करेंगी। सत्र का संचालन अराधना चौबे करेंगी, जबकि न्यास के निदेशक ओम प्रकाश गुप्ता आभार प्रदर्शन करेंगे।

Source: https://panchjanya.com/2026/10/25/496756/bharat/madhya-pradesh/from-human-rights-to-national-security-what-issues-did-priyank-kanoongo-express-concern-about/

मध्य प्रदेश सुशासन संवाद 3.0: मानवाधिकारों से राष्ट्रीय सुरक्षा तक, प्रियंक कानूनगो ने किन मुद्दों पर जताई चिंता?

इस बातचीत में बच्चों को संविधान पढ़ाने के नाम पर कथित तौर पर विरोध-प्रदर्शनों के लिए प्रेरित करने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta के AI टूल की भूमिका, इंटरनेट की स्वतंत्रता और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

मानवाधिकार, अवैध प्रवासन, जनसांख्यिकीय बदलाव और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा जैसे मुद्दे आज देश में व्यापक चर्चा का विषय हैं। इनसे जुड़े सवाल केवल व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों के हितों, संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी जुड़े हैं। इसी संदर्भ में 'पाञ्चजन्य' की कंसल्टिंग एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो से विशेष बातचीत की। बातचीत के प्रमुख अंश प्रस्तुत हैं-

प्रश्नः जब भी भारत में अवैध प्रवासियों और जनसांख्यिकीय बदलाव की चर्चा होती है, तो उनके मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगता है। लेकिन इस दौरान भारतीय नागरिकों के संसाधनों, रोजगार और अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कम होती है। क्या यह भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है?

उत्तरः जब हम अधिकारवादी व्यवस्था की बात करते हैं, तो हमें समझना होगा कि मानवाधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार और पशु-पक्षियों के अधिकार जैसे विषयों को कुछ वैचारिक समूह राजनीतिक संघर्ष का माध्यम बना लेते हैं। मेरा मानना है कि इन विषयों को ऐसे मुद्दों में बदल दिया जाता है, जिनके माध्यम से लोगों को व्यवस्था और सरकार के विरुद्ध खड़ा किया जा सके। अब अवैध प्रवासन का ही उदाहरण लीजिए। किसी भी व्यक्ति को अधिकार प्रदान करने और उन अधिकारों की रक्षा करने की जवाबदेही किसकी है? राज्य की। लेकिन जो विचारधाराएँ राज्यविहीन समाज की कल्पना करती हैं, उनके सामने एक बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है कि यदि राज्य ही नहीं होगा, तो अधिकारों की गारंटी और जवाबदेही किसकी होगी?

इसलिए मानवाधिकारों की चर्चा करते समय केवल एक पक्ष को नहीं देखा जा सकता। भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। अवैध प्रवासन के मामले में विशेष रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासन को लेकर गंभीर प्रश्न उठते हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि मानवीय संवेदनाओं और मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए उसकी संप्रभुता, नागरिकों के हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो।

प्रश्न 2: भारत के विभाजन और बांग्लादेश के निर्माण का वर्तमान अवैध प्रवासन से क्या संबंध है?

उत्तरः इस विषय को समझने के लिए हमें 1947 के विभाजन और 1971 में बांग्लादेश के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के दो भौगोलिक हिस्से थे पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान । पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी रहते थे, जिनकी मातृभाषा बांग्ला नहीं थी और जो बिहार तथा भारत के अन्य क्षेत्रों से वहाँ गए थे।

1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद इन गैर-बांग्लाभाषी समुदायों के एक हिस्से की स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। विशेष रूप से बिहारी मूल के अनेक लोगों को विस्थापन, नागरिकता और पुनर्वास जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेरे विचार से इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि विभाजन और उसके बाद हुए विस्थापन का प्रभाव कई समुदायों पर पड़ा। हालाँकि, यह भी समझना जरूरी है कि 1971 में विस्थापित हुए सभी लोगों को आज भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों के साथ एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। किसी व्यक्ति की नागरिकता, प्रवासन का इतिहास और कानूनी स्थिति अलग-अलग तथ्यों के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। भारत के लिए आवश्यक है कि वह इतिहास से सीख लेते हुए वर्तमान प्रवासन संबंधी चुनौतियों का समाधान कानून और तथ्यों के आधार पर करे।

प्रश्न 3: क्या भारत में शरण लेने वाले लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है?

उत्तरः में अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि भारत में शरण लेने वाले लोगों और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोगों के बीच अंतर करना आवश्यक है। मैंने नौ वर्षों तक बाल अधिकारों से संबंधित आयोग में काम किया है और मानवाधिकारों से जुड़े विषयों पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे अनुभव में भारत की एक लंबी मानवीय परंपरा रही है। पारसियों के आगमन से लेकर विभिन्न ऐतिहासिक कालखंडों में भारत ने अनेक समुदायों को शरण दी है। शरण लेने वाले लोगों को भोजन, चिकित्सा, शिक्षा और जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराने की परंपरा भारत में रही है।

लेकिन यहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंतर समझना होगा। शरण और स्थायी नागरिकता एक ही बात नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से शरण लेता है, तो उसकी स्थिति और उसके भविष्य का निर्धारण संबंधित कानूनों और लागू नीतियों के अनुसार होना चाहिए। मेरी चिंता उन मामलों को लेकर है, जहाँ मानवाधिकारों की अवधारणा का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध प्रवासन को वैधता दिलाने के लिए किया जाता है। मैंने कुछ संगठनों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मेरा दावा है कि कुछ मामलों में शरणार्थी पहचान और दस्तावेजों के दुरुपयोग की कोशिश की गई है। ऐसे आरोपों की जाँच प्रमाणों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। यदि किसी संगठन या व्यक्ति ने दस्तावेजों में धोखाधड़ी की है, तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा और अवैध प्रवासन पर नियंत्रण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। भारत को दोनों उद्देश्यों के बीच उचित संतुलन बनाना होगा।

प्रश्न 4: अवैध प्रवासन का भारतीय नागरिकों के रोजगार और संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तरः मानवाधिकारों की चर्चा केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। भारतीय नागरिकों के सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आजीविका के अधिकार भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग काम कर रहे हों जिनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो स्थानीय श्रम बाजार पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कबाड़ संग्रह, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, निर्माण कार्य और अन्य असंगठित क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का प्रश्न उठता है। मेरा दावा है कि कुछ इलाकों में अवैध प्रवासियों द्वारा बहुत कम कीमत पर काम करने के कारण स्थानीय कामगारों और छोटे व्यापारियों के सामने कठिनाइयाँ पैदा होती हैं।
मैंने प्लास्टिक के कबाड़ के बाजार का उदाहरण देते हुए बताया कि कुछ लोग अपेक्षाकृत कम कीमत पर सामान खरीदते और बेचते हैं, जिससे बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा हो सकती है। हालाँकि, इन दावों की पुष्टि के लिए स्थानीय श्रम बाजार, मजदूरी, खरीद मूल्य, व्यापारिक नेटवर्क और संबंधित व्यक्तियों की कानूनी स्थिति का व्यवस्थित सर्वेक्षण आवश्यक है। समस्या का समाधान किसी समुदाय के सभी लोगों को एक जैसा मान लेना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सभी आर्थिक गतिविधियाँ कानून के दायरे में हों और स्थानीय नागरिकों के रोजगार तथा आजीविका के अधिकार सुरक्षित रहें। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में रह रहा है या रोजगार से जुड़े कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी स्थिति की जाँच की जानी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रश्न 5: अवैध प्रवासन की समस्या का समाधान क्या है और नमस्ते योजना की इसमें क्या भूमिका है?
उत्तरः मेरे विचार से इसका समाधान कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, सही पहचान प्रक्रिया और अवैध प्रवासन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जाँच में है। यदि किसी व्यक्ति की भारत में रहने की कानूनी स्थिति संदिग्ध है, तो संबंधित अधिकारियों को उसके दस्तावेजों और मामले की जाँच करनी चाहिए। यदि वह कानून के अनुसार देश में रहने का पात्र नहीं है, तो निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही हमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की पहचान और उनके कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए।
इस संदर्भ में नमस्ते योजना महत्त्वपूर्ण है। नमस्ते योजना का पूरा नाम National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem है। इसका उद्देश्य स्वच्छता कार्यों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत पात्र श्रमिकों की पहचान, सुरक्षा प्रशिक्षण और कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। नमस्ते योजना का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना या उन्हें देश से बाहर भेजना नहीं है। किसी व्यक्ति की नागरिकता या आव्रजन स्थिति का निर्धारण अलग कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए समाधान के लिए दो स्तरों पर काम होना चाहिए। पहला, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और आजीविका को मजबूत करना। दूसरा, अवैध प्रवासन से जुड़े मामलों में कानून का निष्पक्ष और प्रभावी पालन सुनिश्चित करना।
प्रश्न 6: क्या जनसांख्यिकीय बदलाव केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित हैं? कैराना जैसे मामलों को आप किस रूप में देखते हैं?
उत्तरः इस विषय पर चर्चा करते समय हमें दो अलग-अलग पहलुओं को समझना होगा-जनसांख्यिकीय बदलाव और किसी क्षेत्र से लोगों का पलायन। जनसांख्यिकीय बदलाव के पीछे प्रवासन, जन्म दर, रोजगार, शिक्षा, शहरीकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण हो सकते हैं। इसलिए किसी क्षेत्र की आबादी में बदलाव को समझने के लिए प्रमाण-आधारित अध्ययन आवश्यक है। दूसरी ओर, यदि किसी समुदाय के लोग भय, उत्पीड़न, धमकी या असुरक्षा के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
मैंने कैराना और भोपाल के कुछ इलाकों का उल्लेख करते हुए यह मुद्दा उठाया है कि कुछ स्थानों पर हिंदू परिवारों को सामाजिक दबाव और असुरक्षा के कारण पलायन करना पड़ा। मेरे अनुसार, ऐसे मामलों में समस्या हमेशा प्रत्यक्ष धमकी के रूप में सामने नहीं आती। कभी-कभी लोगों के लिए अपने घर में रहना कठिन बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए, धार्मिक परंपराओं का अपमान, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, घरों के सामने अनुचित व्यवहार या लगातार उत्पन्न होने वाली असुरक्षा की भावना लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर सकती है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म के कारण असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। किसी क्षेत्र को किसी विशेष धर्म का इलाका मानकर दूसरे नागरिकों के अधिकार सीमित करना भी उचित नहीं है। समाधान के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधों की निष्पक्ष जाँच करना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय करना आवश्यक है।
प्रश्न 7: क्या धार्मिक आधार पर इलाकों का विभाजन और सामाजिक असुरक्षा मानवाधिकारों का उल्लंघन है?
उत्तरः निश्चित रूप से, किसी भी धर्मनिरपेक्ष समाज में नागरिकों की सुरक्षा और समानता का प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। संविधान सभी नागरिकों को समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी इलाके में अपराध की आशंका है, तो प्रशासन को सुरक्षा के उचित इंतजाम करने चाहिए। लेकिन सुरक्षा संबंधी निर्णय वास्तविक परिस्थितियों और प्रमाणों के आधार पर होने चाहिए, न कि केवल किसी समुदाय की धार्मिक पहचान के आधार पर। मैंने भोपाल के नारियलखेड़ा, जहांगीराबाद और गिन्नौरी तलैया जैसे इलाकों का उल्लेख करते हुए अपने परिवार और परिचितों के अनुभव साझा किए। मेरे अनुसार, कुछ परिवारों को समय के साथ अपने घर बेचकर दूसरी जगह जाना पड़ा।
मैंने यह भी कहा कि कभी-कभी लोगों को सीधे घर खाली करने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि उनके आसपास ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जिनमें उनके लिए वहाँ रहना कठिन हो जाता है। इन अनुभवों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। साथ ही, किसी विशिष्ट घटना के कारणों का निर्धारण तथ्यों और जाँच के आधार पर होना चाहिए। मानवाधिकारों का अर्थ केवल जीवन और संपत्ति की रक्षा नहीं है, बल्कि अपने घर में सुरक्षित महसूस करना, स्वतंत्र रूप से धार्मिक परंपराओं का पालन करना और बिना भय के जीवन जीना भी है। यदि किसी नागरिक की सुरक्षा प्रभावित होती है, तो प्रशासन का दायित्व है कि वह उसकी शिकायत सुने और उचित कार्रवाई करे।
प्रश्न 8: SIR प्रक्रिया और मताधिकार को लेकर उठने वाले सवालों को आप कैसे देखते हैं?
उत्तरः मताधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुरूप होना चाहिए। यदि किसी पात्र भारतीय नागरिक का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो यह गंभीर विषय है। उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने और निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार कराने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी ओर, मतदाता सूची को अद्यतन रखना और पात्रता की पुष्टि करना भी चुनावी व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मेरे पास अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिसमें किसी व्यक्ति ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद अपना वैध मताधिकार समाप्त किए जाने की शिकायत की हो। मैंने ऐसे मामले सामने आने पर हस्तक्षेप करने की इच्छा भी व्यक्त की है।
हालाँकि, किसी शिकायत का सामने न आना अपने आप में यह प्रमाण नहीं है कि किसी का मताधिकार प्रभावित नहीं हुआ। इसके लिए वास्तविक मामलों और संबंधित आँकड़ों की जाँच आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दस्तावेजों की कमी या नागरिकता से जुड़ी अनिश्चितता के आधार पर किसी

व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। इसलिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक ओर मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित की जाए और दूसरी ओर पात्र नागरिकों के मताधिकार की रक्षा की जाए। लोकतंत्र में नागरिकों का विश्वास तभी बना रह सकता है जब चुनावी प्रक्रियाएँ
विषाल हों और शिकायतों का उचित समाधान हो।

प्रश्न 9: क्या अवैध प्रवासन, पहचान संबंधी दस्तावेजों और राजनीतिक संरक्षण के बीच कोई संबंध है?

उत्तरः मेरी चिंता उन मामलों को लेकर है जिनमें किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान या कानूनी स्थिति स्पष्ट न होने के बावजूद उसके लिए दस्तावेज तैयार किए जाने के आरोप सामने आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में प्रवेश करता है और फिर धोखाधड़ी के माध्यम से पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त करता है, तो यह कानून के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। मैंने कुछ व्यक्तियों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। मैंने दिल्ली में प्रवासियों के पुनर्वास और पहचान संबंधी दस्तावेजों को लेकर भी आरोपों का उल्लेख किया है। इन आरोपों का मूल्यांकन करते समय प्रत्येक मामले में दस्तावेजी प्रमाण, प्रशासनिक रिकॉर्ड और जाँच के निष्कर्षों को देखा जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना अलग-अलग बातें हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले उचित जांच आवश्यक है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकता, मतदाता पहचान और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए, ताकि धोखाधड़ी की संभावना कम हो और वास्तविक पात्र नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।

प्रश्न 10: संविधान की शिक्षा और बच्चों को विरोध-प्रदर्शनों में शामिल करने को लेकर आपकी क्या चिंता है?

उत्तरः बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन संविधान की शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाना होना चाहिए, न कि उन्हें किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना। यदि किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में बच्चों को यह बताया जाता है कि अधिकार प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सड़क पर उतरना या अराजकता फैलाना है, तो ऐसी शिक्षा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। मैंने कुछ गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। मेरा दावा है कि कुछ मामलों में बच्चों को उनकी नियमित पढ़ाई से अलग करके राजनीतिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की गई। ऐसे आरोपों की जाँच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। संविधान की आलोचनात्मक शिक्षा, शांतिपूर्ण विरोध और लोकतांत्रिक भागीदारी अपने आप में गलत नहीं हैं। लेकिन बच्चों को गुमराह करना, उन पर अनुचित दबाव डालना या उनकी समझ और सुरक्षा की अनदेखी करते हुए उन्हें किसी आंदोलन में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। बच्चों को उनके अधिकारों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून के महत्त्व के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए। अभिभावकों, विद्यालयों और प्रशासन की यह साझा जिम्मेदारी है कि बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्र सोच को प्राथमिकता दी जाए।

प्रश्न 11: सोशल मीडिया कंपनियों और एआई टूल्स की जवाबदेही कितनी आवश्यक है?

उत्तरः डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियाँ अब केवल सूचना उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह गई हैं। उनके एआई टूल्स कंटेंट बनाने, उसकी प्रस्तुति तय करने और उसे अधिक लोगों तक पहुँचाने में भी भूमिका निभा सकते हैं। मैंने मेटा के क्रिएटर असिस्टेंस टूल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि एक ही विषय पर अलग-अलग उपयोगकर्ताओं को उनकी प्रोफाइल के आधार पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दी गईं। मेरे अनुसार, एक ही समय और एक ही स्थान पर अलग-अलग मोबाइल फोन से एक समान राजनीतिक प्रश्न पूछे जाने पर प्रतिक्रियाओं में अंतर देखने को मिला। मैंने यह भी आरोप लगाया कि एक उपयोगकर्ता को राजनीतिक विषय पर सामग्री तैयार करने और उससे कमाई करने के संबंध में सुझाव दिए गए, जबकि दूसरे उपयोगकर्ता को अलग प्रतिक्रिया मिली।

यदि किसी प्लेटफॉर्म का एआई उपयोगकर्ताओं की राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर सूचना या सुझावों में अनुचित अंतर करता है, तो यह पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। हालाँकि, इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित संवादों, परीक्षण की परिस्थितियों, प्लेटफॉर्म की नीतियों और तकनीकी साक्ष्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। सोशल मीडिया कंपनियों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके एआई टूल्स किस प्रकार काम करते हैं, उपयोगकर्ताओं के डेटा का उपयोग कैसे किया जाता है और राजनीतिक विषयों पर उत्तर तैयार करते समय कौन-से मानदंड अपनाए जाते हैं। यदि किसी प्लेटफॉर्म की गतिविधियाँ लागू कानूनों का उल्लंघन करती हैं, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। डिजिटल स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता, निजता और जिम्मेदारी भी आवश्यक हैं। लोकतंत्र में सूचना तक पहुँच जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतना ही महत्त्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को भ्रामक या अनुचित रूप से प्रभावित न किया जाए।

प्रश्न 12: क्या बच्चों के लिए इंटरनेट तक निर्बाध पहुँच उनका मौलिक अधिकार है?

उत्तरः बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर उनके अधिकारों और सुरक्षा, दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इंटरनेट शिक्षा, जानकारी और रचनात्मक विकास का महत्त्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए बच्चों को इससे पूरी तरह दूर रखना उचित नहीं है। हालाँकि, साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री, ऑनलाइन शोषण और निजी जानकारी के दुरुपयोग जैसे खतरों से उनकी सुरक्षा भी जरूरी है।

सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर के फैसले के संदर्भ में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों के अधिकारों पर विचार करना आवश्यक है। हालाँकि, फैसले के वास्तविक कानूनी प्रभाव को समझने के लिए उसके विस्तृत निर्णय का अध्ययन जरूरी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए आयु के अनुरूप डिजिटल नियम, अभिभावकीय मार्गदर्शन, सुरक्षित प्लेटफॉर्म और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए। इसका उद्देश्य बच्चों की स्वतंत्रता पर अनावश्यक रोक लगाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करना होना चाहिए। अंततः, बच्चों को इंटरनेट तक पहुँच देने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वे उसका उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदारी से और अपने विकास के लिए लाभकारी तरीके से कर सकें।